

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय की सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जो छात्राएं महाविद्यालय में साईकिल/स्कूटी व बाईक लेकर आती हैं तथा उनमें से जिन्होंने फीस भरते समय साईकिल/स्कूटी व बाईक आदि की फीस जमा नहीं करवाई है तो वे कमरा नं० 03 में फीस भरकर अपनी रसीद प्राप्त कर लें। फीस इस प्रकार रहेगी :-

1. साईकिल फण्ड 120/- सालाना
2. स्कूटी व बाईक 360/- सालाना

नोट :- फीस न जमा करवाने वाली छात्राओं को महाविद्यालय में साईकिल/स्कूटी व बाईक लाने की इजाजत नहीं होगी।

प्राचार्य 06/08/2026
राजकीय महिला महाविद्यालय, जीन्द
06/08/26